राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या : 1298, 1299, 1300, 1301 व 1302/2015/... जिला :उदयपुर
मैसर्स ईगल इण्टरप्राइजेज,उदयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी,प्रतिकरापवचंन,उदयपुर व अतिरिक्त आयुक्त अपीलीय अधिकारी,वाणिज्यिक कर विभाग,उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

खण्डपीठ
श्री सुनील शर्मा, सदस्य
श्री मदन लाल, सदस्य

25.08.2015 अपीलार्थी की ओर से श्री अलकेश शर्मा, अभिभाषक एवं विभाग की ओर से उप राजकीय अभिभाषक श्री डी.पी.ओझा उपस्थित।

अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से उपरोक्त पाच अपीले मय स्थगन प्रार्थना पत्र अतिरिक्त आयुक्त, अपीलीय अधिकारी, वाणिज्यिक कर, उदयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी"कहा जायेगा) के द्वारा पारित पृथक–पृथक स्थगनादेश दिनांक 12.08.2015, जो कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003(जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत् पारित किया गया हैं, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। उक्त आदेश में अपीलीय अधिकारी द्वारा वाणिज्यिक कर अधिकारी,प्रतिकरापवचंन, उदयपुर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा गया है) द्वारा पारित पृथक–पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक 05.12.2014, जो अधिनियम की धारा 25, 55 व 61 के तहत् निर्धारण वर्ष 2010–11 ,2011–12, 2012–13 , 2013–14 एवं 2014–2015 के लिये पारित किये गयें हैं, में सृजित मांग के संबंध में अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत रोक आवदेन पत्र प्रस्तुत करने पर उन्होंने निम्न तालिका के अनुसार आंशिक रूप से स्थगन प्रदान किया है। अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से अवशेष मांग राशियों पर स्थगन प्रदान करने का निवेदन किया गया है।

अ. सं.	कुल सृजित मांग	अपीलीय अधिकारी द्वारा स्थगित राशि	स्थगन हेतु आवेदित राशि
1298/15	878662/–	516000/–	3,62,662/–
1299/15	13,13,200/–	8,00,000/–	5,13,200/–
1300/15	16,92,041/–	10,70,000/–	6,22,041/–
1301/15	21,36,806/–	14,05,000/–	7,31,806/–
1302/15	03,92,539/–	02,65,000/–	1,27,539/–

उभय पक्षीय की बहस पर मनन किया गया एवं दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों एवं उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन के पश्चात यह पीठ अनुभव करती है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा स्थगन हेतु प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र में स्थगन हेतु आवेदित राशियों में से आंशिक स्थगन प्रदान कर उपरोक्त तालिका के अनुसार अवशेष राशियों को स्थगित नही करने के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई कारण अपीलीय अध्किारी ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.08.2015 में अंकित नहीं किया है । लिहाजा, अपील के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना अपीलाधीन आदेश के अन्तर्गत वसूली योग्य राशि अर्थात् कर बोर्ड के समक्ष

उपरोक्त तालिका के अनुसार स्थगन हेतु आवेदित राशियों की वसूली पर कर निर्धारण अधिकारी के सन्तोष के अनुरूप समुचित जमानत (Adequate Security) प्रस्तुत करने की शर्त पर स्थगन हेतु आवेदित राशि की वसूली की कार्यवाही को तीन माह तक स्थगित रखा जाता है। उक्त आदेश की पालना के अभाव में, रोक आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी समझा जावेगा, साथ ही अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि वह इस आदेश प्राप्ति के तीन माह में अपीलों का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

निर्णय सुनाया गया

25-8-2015

(मदन लाल)
सदस्य

(सुनील शर्मा)
सदस्य